[Shri Sadhan Gupta]

Regarding section 144, Sir, the same can be said. We have often seen how it has been used to suppress civil liberties by the Governments. It has been used to suppress civil liberties in many ways. There are many places where it has become a habit with the authorities to impose section 144. Apart from that, even private persons, for the same purpose and particularly in the case of disputes over land, in the case of disputes between landlords and peasants, very often resort to it. know that in the same case which I was referring to, where section 107 was used, the landlord applied in court and obtained orders under section 144 and influenced the police officers to put up an armed police force there and under the protection of the armed police force they cut away the crops, although they had no right to do so. This is the way in which section 144 is abused both by public authorities and by private persons. It cannot be allowed to continue in this form. Some kind of safeguard by way of reference to judicial authorities is necessary.

Shri Tangamani has suggested that in the first instance it may be imposed for 48 hours and then a reference may be made to the high court. Instead of 48 hours it may be made for 96 hours or even five days or a week. But to impose it for two months and then to subject them to endless litigation is absolutely countrary to civil liberty. This is a thing which the least, elementary sense of justice cannot tolerate. Some judicial officer has to determine whether the order is reasonable. It may be the high court or it may be the district and sessions judge. This can be settled by suitable amendments in the second reading, but the important thing is, this should not be left in the hands of the executive and in the hands of magistrates who are part of the executive, to determine, to make or mar the civil liberties of the people at will. So, this principle which Shri Tangamani has proposed should be adopted, and the Act should be suitably amended to provided for the principle of review by a judicial authority.

Mr. Chairman: The hon. Member might continue next time. It is 5 O'clock. We will now proceed to the half-hour discussion.

Shri Sadhan Gupta: I shall continue on the next occasion.

16.57 hrs.

*CHILDREN OF POLITICAL SUFFERERS

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : सभापति महोदय, मैं ने इस महीने की १२ तारीख को तारांकित प्रश्न संख्या ८३४ के द्वारा शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान इस समय सारे देश में राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को जो शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं दी जा रही हैं उनकी ओर आकर्षित किया था और उन्होंने जो उस समय उत्तर दिया था उसी के सम्बन्ध में कुछ बातें यहां पर रखने का मैं साहस कर रहा हूं ।

मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का अनुग्रहीत हूं कि उन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करने की सुविधा प्रदान की । आज से लगभग दो वर्ष पहले, ५ दिसम्बर, १९५८ को, मैं ने सदन में इस सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछा था और उस अवसर पर भी मैं ने उस प्रश्न के उत्तर पर विवाद उठाने की अनुमति चाही थी, लेकिन उस समय मुझे अनुमति नहीं मिल पायी । लेकिन मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस सत्र के अन्तिम दिन मुझे यह विषय उठाने का अवसर प्रदान किया गया है । इसलिए

*Half-An-Hour Discussion.

मुझे आशा है कि अनेक दिनों तक इस विवाद की गूंज माननीय मंत्री जी और सरकार के कानों में गूंजती रहेगी ।

सभापति महोदय, सब से पहले मैं अपना यह कर्तव्य समझता हूं कि देश के विभिन्न भागों में जिन व्यक्तियों ने स्वाधीनता संग्राम में कुरबानियां कीं और जो आज भी देश के कोने कोने में देश के लिए कुरबानियां कर रहे हैं उन के प्रति अपना नमस्कार अर्पित करूं ।

बहुत से लोग समझते हैं कि देश की स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद जो भी विभिन्न श्रेणियों के राजनीतिक पीड़ित हैं उनकी हालत में सुधार हो गया है, लेकिन यह विचार भ्रमात्मक है । अभी भी लगभग ९० प्रतिशत स्वतंत्रता-संग्राम के सैनिक बहुत कठिन और कष्टपूर्ण परिस्थितियों में जीवन बिता रहे हैं । जो लोग संसद् में निर्वाचित हो गए हैं या जो राज्य सरकारों की विधान सभाओं के सदस्य हो गए हैं, या जिन्होंने और किसी प्रकार अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर लिया है, उनको छोड़ कर आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे स्वाधीनता-संग्राम के सैनिकों का ऐसा है जिन्हें आर्थिक दृष्टि से पीड़ित माना जा सकता है ।

सभापति महोदय, हम ने १९५७ में एक सौ वर्ष पहले १८५७ के ग़दर के शहीदों की स्मृति में दिये जलाये थे; समय समय पर हम उन के प्रति शब्दों के द्वारा श्रद्धा और प्रशंसा प्रकट करते रहे हैं, किन्तु यह यथेष्ठ नहीं है । इस समय हमारी राष्ट्रीय सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि स्वतंत्रता-संग्राम के जिन सैनिकों ने अपने सारे जीवन की आहुति दे दी, उन के बच्चों की जिम्मेदारी वह अपने ऊपर ग्रहण करे और उन के लिए कानूनी ढंग पर या अन्य प्रकार से, जो भी सुविधायें दी जा सकती हैं, उन्हें देने का प्रयत्न करे ।

17 hrs.

इसी लिए जब से इस संसद् की स्थापना हुई है, यह प्रश्न सदन के सामने आता रहा है । १४ दिसम्बर, १९५६ को हमारे आदरणीय मित्र, डा० राम सुभग सिंह, ने एक ग़ैर-सरकारी प्रस्ताव के द्वारा इस विषय को यहां रखा था । तब इस विषय पर काफ़ी वाद-विवाद हुआ था, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह सुझाव दिया था कि चूंकि उस समय माननीय गृह मंत्री महोदय सदन में उपस्थित नहीं थे, इस लिए दूसरे ग़ैर-सरकारी संकल्पों के दिन उस पर विचार किया जाये । लेकिन तब तक पहली लोक-सभा समाप्त हो गई और उस पर विचार नहीं हो पाया । उस के बाद जब से दूसरी लोक सभा संगठित हुई है, इस ओर माननीय सदस्यों का ध्यान गया है । मैं ने इस सम्बन्ध में एक संकल्प की सूचना दी थी, जिस की भाषा इस प्रकार है—

"यह सभा सरकार से सिफ़ारिश करती है कि ऐसे भारतीयों को, जिन्होंने १८५७ से लेकर स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों का बलिदान दिया अथवा अन्य प्रकार से कष्ट उठाये, वित्तीय सहायता देने के संबंध में एक समान उदारतापूर्ण नीति अपनाई जाये और सभी श्रेणियों के राजनैतिक पीड़ितों के पुनर्वास के लिये व्यवस्था की जाये और उन के बच्चों को विश्वविद्यालय की शिक्षा पर्यन्त निःशुल्क शिक्षा दी जाये ।"

इस संकल्प पर २८ फरवरी, १९५८ को वाद-विवाद होना था, लेकिन माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के आदेश पर, उन के सुझाव पर, उनकी

[श्री भक्त दर्शन]

प्रेरणा पर, मैं ने यह उचित समझा कि उस समय इस सदन में इस पर विवाद न किया जाये और सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया कि उस प्रस्ताव पर बड़ी सहानुभूति से विचार किया जायेगा, विशेषकर शिक्षा-सम्बन्धी सुविधायें देने के सम्बन्ध में । फिर बड़ी कठिनाई के बाद, कई महीनों के विचार-विमर्श के बाद एक योजना तैयार हुई और ५ दिसम्बर, १९५८ को सदन में एक प्रश्न के उत्तर में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने उस की घोषणा की । उस समय सदन के सभी पक्षों ने हर्ष और संतोष प्रकट किया था कि देश की एक बड़ी भारी समस्या को सुलझा लिया गया है । उस समय माननीय अध्यक्ष महोदय ने ये शब्द कहे थे कि "नो पोलीटिकल सफ़रर विल नाऊ सफ़र" । जब यह घोषणा हुई, तो उन को भी इतना संतोष हुआ था ।

17.03 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी आशायें इस नई योजना से की गई थीं, वे अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं । सब से बड़ी बात यह है कि आज दो साल से अधिक का समय हो गया, लेकिन अधिकांश राज्यों में इस को लागू नहीं किया जा सका है । केवल चार राज्यों–आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मैसूर और उड़ीसा—और तीन संघीय क्षेत्रों—दिल्ली, मणिपुर और त्रिपुरा—में इस को सिद्धान्त रूप से मान लिया गया है और किन्ही अंशों में लागू किया गया है । यह समझ में नहीं आता कि जब केन्द्रीय सरकार ने इस का स्वीकार कर लिया और राज्य सरकारों ने सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया, तो फिर सारी योजना क्यों दो दो वर्ष तक खटाई में पड़ी रहे और उस पर अमल न हो । मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि हम राज्य सरकारों की स्थिति पूरी तरह से जानते हैं । हम जानते हैं कि उन को अपने कार्य-क्षेत्र में काफ़ी स्वाधीनता है, लेकिन क्या केन्द्रीय सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं है—क्या वह यह उचित नहीं समझती है कि उन को बार बार प्रेरणा दी जाये कि जब उन को रुपया दिया जा रहा है, तो वे उस का पूरी तरह से उपयोग क्यों नहीं करते हैं ?

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार इस विषय में अनुमान लगाया गया था कि हमारे देश में कितने लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था । तो शायद कई लाखों में उन की गणना की गई थी । जिन लोगों ने अकेले सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लिया था, उन्हीं की संख्या लाखों में गिनी जा सकती है । लेकिन उस दिन के उत्तर में यह बताया गया कि आन्ध्र प्रदेश में १८५३, बिहार में २७६, मैसूर में ११९६, उड़ीसा में ८७, दिल्ली में ४५९, मणिपुर में ४२ और त्रिपुरा में ७७, कुल ३९९० छात्रों ने इन सुविधाओं से लाभ उठाया है; जब कि हमारा अनुमान है कि लाखों की संख्या ऐसे छात्रों की हो सकती है । वैसे भी हिन्दुस्तान में परिवार के सदस्यों की संख्या काफ़ी है और राजनैतिक पीड़ित भी बच्चों के मामले में किसी वर्ग से पीछे नहीं हैं; उन पर भी बड़ा भारी भार है । इस लिए ३९९० की संख्या देख कर हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि इस योजना का पूरा प्रचार नहीं किया गया और लोगों को इस की जानकारी नहीं दी जा रही है ।

पहले जब डा० राम सुभग सिंह का संकल्प प्रस्तुत हुआ था, उस समय बोलते हुए मैं ने सुझाव दिया था कि अगर गवर्नमेंट और कुछ नहीं करती, तो कम से कम उस को सारे देश में, हर राज्य में एक राष्ट्रीय रजिस्टर बनाना चाहिए, जिस को हम एक तरह का रोल आफ़ ऑनर कह सकते हैं । उस रजिस्टर में इस का पूरा विवरण हो कि हमारे स्वतंत्रता-

संग्राम में किन लोगों ने भाग लिया, उन की आर्थिक स्थिति कैसी है, उन के कितने बच्चे हैं और वे किस मुसीबत से गुजर रहे हैं। जब तक इस तरह की गणना नहीं की जायगी और सैन्सस नहीं ली जायगी, तब तक इस विषय में पूरा न्याय नहीं किया जा सकता है। लेकिन मुझे खेद है कि राज्य सरकारें और शायद केन्द्रीय सरकार भी इसे इतना आवश्यक नहीं समझती कि इस का पूरी तरह से प्रचार किया जाये और प्रकाशन किया जाये, ताकि अधिक से अधिक लोग इस से लाभ उठा सकें।

उसी प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया है कि १,४६,०७३ रुपये राज्य सरकारों को दिये गए हैं। मेरे एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया था कि पांच लाख या ऐसी ही रकम बजट में निश्चित की गई है, जिस में से राज्य सरकारों को सहायता दी जायगी। उसी समय मैं ने और कई माननीय मित्रों ने शंका प्रकट की थी कि पांच लाख रुपये भी बहुत कम हैं। जब अरबों रुपये इस देश के उत्थान के लिए विभिन्न विकास-योजनाओं पर खर्च किये जा रहे हैं, तो क्या कुछ करोड़ रुपये उन व्यक्तियों के लिए, उन के परिवारों के लिए, खर्च नहीं किये जा सकते, जिन की वजह से हम को स्वतंत्रता मिली, जिन की वजह से आज भी हम स्वतंत्रता का उपभोग कर रहे हैं ....

पंडित द्वा० ना० तिवारी (केसरिया) : जिन की वजह से हम यहां बैठे हुए हैं।

श्री भक्त दर्शन : हां, जिन की वजह से हम यहां बैठे हुए हैं। जो योजना रखी गई है, उस में बताया गया है कि पचास प्रतिशत सहायता केन्द्रीय सरकार देगी। केन्द्र-शासित प्रदेशों में पूरा खर्च केन्द्रीय सरकार बर्दाश्त करेगी, यह खुशी की बात है। लेकिन राज्य सरकारों को पचास प्रतिशत खर्च अपनी ओर से देना होगा। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि मैचिंग ग्रान्ट्स का सिस्टम ही बहुत ग़लत है। हम देख रहे हैं कि पंच-वर्षीय योजनाओं में से अधिकांश योजनाओं में यह स्थिति है कि पचास प्रतिशत, या दो-तिहाई, या एक तिहाई केन्द्रीय सरकार देगी और बाकी राज्य सरकार देगी। इसका परिणाम यह है कि जो गरीब राज्य हैं, जो साधन-सम्पन्न नहीं हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वे पूरा खर्चा नहीं जुटा पाते हैं और केन्द्रीय योजनाओं से पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसके विपरीत जो सम्पन्न राज्य हैं—मैं किसी राज्य विशेष का नाम लेकर उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन पहले जैसे बम्बई राज्य था, जहां बहुत इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ थीं—जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, वे केन्द्र से ज्यादा रुपया खींच सकते हैं। अतः मैं मैचिंग ग्रान्ट्स के सिस्टम के सिद्धान्ततः विरुद्ध हूं। लेकिन कम से कम इस योजना के लिए तो खास कर इसमें संशोधन किया जाना चाहिए और वह इसलिए कि, जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस प्रश्न के विषय में पूरक प्रश्नों के समय कहा था, अपने भूतपूर्व सैनिकों और पैन्शनर्ज़ का, जिन्होंने देश की रक्षा की, बल्कि जिनमें से अधिकांश ऐसे हैं, जिन्होंने ब्रिटिश ज़माने में फ्रांस और दूसरे मोर्चों पर जाकर लड़ाई की, पूरा भार सरकार ने ले रखा है, उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार ने कर रखी है, उनको पेन्शन और रोजगार दिये जा रहे हैं और जो हमारे राजनैतिक पीड़ित हैं, जो स्वतंत्रता के भवन की आधार शिला हैं, उनके विषय में हम राज्य सरकारों के सुपुर्द कर देते हैं कि तुम इन्तजाम करो, हम केवल सहायता करेंगे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना पर पुनर्विचार किया जाये। यह योजना इतनी महत्वपूर्ण है कि केन्द्रीय सरकार को सारा खर्च बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए और इसके लिए राज्य सरकारों

[पंडित द्वा० नां० तिवारी]

को खुली छूट देनी चाहिए कि वे इस सम्बन्ध में अधिक से अधिक आवेदनपत्र लें, सूचियां तैयार करे और जितनी भी अधिक से अधिक सुविधाएं दे सकते हैं, दें । मैं समझता हूं कि सदन के सब सदस्य अपने मत-भेद भुला कर इस विषय में सहमत होंगे और जितना भी खर्चा इसके लिए आवश्यक होगा, उसको वे पूरी तरह से सहमति प्रकट करेंगे ।

दो तीन माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछने के लिए अपने नाम दे रखे हैं, जिनमें डा० राम सुभग सिंह भी हैं । इसलिए अधिक समय न लेते हुए मैं अपने निवेदन को यहीं समाप्त करता हूं और माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस सारी योजना पर नये सिरे से विचार किया जाये और इसको बड़ी तेजो से, उत्साह के साथ, और लगन के साथ जल्दी से जल्दी लागू किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : ५५(५) में किसी और साहब ने नोटिस नहीं दिया है ।

डा० राम सुभग सिंह (सहसराम) : मैंने दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : ५५(२) में है, मगर उसी से अपने आप नहीं हो जाता है । खैर, आप सवाल पूछिये ।

डा० राम सुभग सिंह : हमारे माननीय सदस्य श्री भक्त दर्शन ने कहा है कि जितने भी हमारे सैनिक हैं, उन सभी के बच्चों की पढ़ाई का प्रबन्ध किया गया है जो कि अच्छी चीज है । उनके बच्चों की पढ़ाई का प्रबन्ध होना ही चाहिये । लेकिन जिन लोगों ने राजनीति के क्षेत्र में सैनिकों के रूप में काम किया है, उनकी वैसी उपेक्षा नहीं होनी चाहिये, जैसी आज हो रही है । पोलिटिकल सफरर्ज को आज सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है जिसको प्राप्त करने के लिये उनको सर्किल आफिसर के यहां जाना पड़ता है और सर्किल आफिसर वाले उनको पहचानने के लिये तैयार नहीं होते हैं । कई जगहों पर मैंने खुद देखा है कि चूंकि उन्होंने वहां पर क्लर्क को सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिये पैसे नहीं दिये, इसलिये उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला । इस वास्ते मैं समझता हूं कि यह आवश्यक है कि उनका एक "हू इज हू" तैयार करवाया जाए या जैसा कि भक्त दर्शन जी ने कहा कि नैशनल रजिस्टर होना चाहिये, वह हो । यह दुःख की बात है कि आज तक सरकार ने इसे नहीं करवाया है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से लोगों को सनदें दी जाती हैं सरकार द्वारा, उसी तरह की सनदें इनको राष्ट्रपति जी की ओर से या सरकार की ओर से दी जायें या उस तरह की कोई चीज दी जाये ताकि उनकी सन्तानें बाद में यह जान सकें कि उनके पूर्वजों ने या उनके बाप दादों ने देश की आजादी की लड़ाई में भाग लिया था । मैं नहीं कहता कि हर एक राजनीतिक पीड़ित के बच्चे को शिक्षा की सुविधा आप दें, मुफ्त शिक्षा की सुविधा आप दें । लेकिन यह जरूर है कि जो गरीब हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का पूरा पूरा प्रबन्ध आप करें और उनको पूरी पूरी सुविधायें मुहैया करें । इसके साथ ही साथ मैं यह भी चाहता हूं कि उनको किसी प्राडक्टिव काम में लगा लिया जाये । मैं भिक्षा वृत्ति को पसन्द नहीं करता । कहीं कहीं पर तो सरकार आगे आ कर और बढ़ चढ़ कर किन्हीं लोगों की सहायता करती है और कहीं पर अगर कोई डिजर्विंग केस भी होता है तो उसकी सहायता नहीं की जाती है । चूंकि इन लोगों ने देश की आजादी की खातिर कुरबानियां की हैं, इस वास्ते उन के लड़कों की परवरिश अच्छी तरह से नहीं हो पाई और आज वे लड़के इस लायक नहीं हैं कि उन लड़कों का मुकाबला कर सकें जिनको कि पढ़ाई लिखाई की पूरी सुविधायें मिली हुई थीं जिस का कारण यह है कि उनके अभिभावक

अच्छी नौकरी में थे . . .

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को सवाल करने का ही मौका दिया गया है . . .

डा० राम सुभग सिंह : मैं चाहता हूं कि उनको सनदें दी जायें और साथ ही साथ पोलिटिकल सफरर्ज के जो लड़के हैं उनकी मुफ्त शिक्षा का प्रबन्ध किया जाये । जो पोलिटिकल सफरर जीवित हैं, उनको काम करने की सुविधा दी जाये और जिस तरह से संगीत नाटक अकादमी की ओर से कलाकारों को चारों ओर विश्व में घूमने का अवसर दिया जाता है, उसी तरह से इनके बच्चों को या खुद पोलिटिकल सफरर्ज को आप दूसरी जगहों पर अध्ययन के लिए और वहां देख-रेख के लिये भेजें । आप थियेटर वगैरह में करीब १२ करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे हैं । क्या ही अच्छा होता कि आप कम से कम पांच करोड़ भी इन बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर पाते ।

मुझे अन्य सरकारों से भी थोड़ी शिकायत है । पोलिटिकल सफरर्ज को सहायता की घोषणा के बावजूद भी केवल १ लाख २६ हजार रुपया ही इस्तेमाल हो सका है, इनके लड़कों की शिक्षा में । मैं चाहता हूं कि आप बतायें कि क्या कारण है कि सरकार इसका खूब अच्छी तरह से प्रचार नहीं कर पाई है । सरकार को चाहिये था कि वह ऐसी व्यवस्था करती कि जो लोग जेल में गये थे, या जिनके घर जल गये थे, या जिनको अंग्रेजों ने गोली का निशाना बना दिया था, उनकी पूरी पूरी सहायता होती और सरकार खुद-ब-खुद उनकी मदद करती । इसके लिए एक लिस्ट का होना जरूरी था ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख सकते । जैसा अब है उसमें लोग दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाते हैं और जिस सहायता का वचन दिया गया है, वह भी उनको नहीं मिल पाती है । आपको चाहिये कि जो सहायता है, वह सभी तक आप पहुंचायें ।

Shri Raghunath Singh (Varanasi): I do not believe in the theory of the begging bowl, but I say that the sons and dependents of the fighters of freedom should be given priority in the fighting forces, specially in the Navy. I think my this suggestion will be considered by the hon. Education Minister.... (*Interruption*). They should be taken in the fighting forces because they are the real martial race of modern India.

श्री विभूति मिश्र (बगहा) : शिक्षा मंत्री जी तो यहां मौजूद हैं लेकिन जहां तक सहायता देने का सम्बन्ध है, वह गृह मंत्रालय का काम है । मैं चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के जितने भी रिसोर्सिस हों, उनको इकट्ठा करके एक ही जगह से सारी स्टेट्स में उनका बटवारा हो । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह की बात पर सरकार ने ध्यान दिया है या नहीं दिया है ?

दूसरी बात यह है कि पोलिटिकल सफरर्ज के लड़कों के लिए पढ़ाई लिखाई का मुफ्त प्रबन्ध हो । एक बात और मैं कहना चाहता हूं । हमारे बेतिया शहर में एक जवाहर नाम के व्यक्ति कई बार जेल गये थे । आज वह कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं और दरवाजे दरवाजे जा जा कर भीख मांगते फिरते हैं । जो पोलिटिकल सफरर मर गये वे तो मर गये, लेकिन जो जिन्दा हैं, उनकी आजीविका के लिए क्या सरकार द्वारा कोई उपाय किया जा रहा है ? मैं यह भी चाहता हूं कि उनके लड़कों की शिक्षा दीक्षा का समुचित प्रबन्ध हो ।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार के रास्ते में क्या मुश्किलात हैं कि जो राजनीतिक पीड़ित पचास वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं और जिन के पास कोई आजीविका का प्रबन्ध नहीं है, उनको पेंशन नहीं दी जा सकती है । क्या वजह है कि राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को चाहे टैक्नीकल तालीम हो या दूसरी तालीम हो, वजीफे नहीं दिये जाते हैं ? कौन सी आप के रास्ते में दिक्कतें हैं ?

श्री प्रकाश वीर शास्त्री (गुड़गांव) : मैं पूछना चाहता हूं कि जैसा अभी माननीय सदस्य श्री भक्त दर्शन ने अपना वक्तव्य देते हुए कहा कि सभी दलों के प्रतिनिधियों को दलीय स्तर से ऊपर उठ कर इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये और अपनी सहानुभूति व्यक्त करनी चाहिये, क्या सरकार भी दलीय स्तर से ऊपर उठ कर राजनीतिक पीड़ितों के सम्बन्ध में कोई निर्णय करेगी ? यदि हां तो क्या अपनी निष्पक्षता के कुछ ऐसे प्रमाण भी वह प्रस्तुत करेगी जिससे देश को विश्वास हो कि इस सम्बन्ध में जितने भी राजनीतिक पीड़ित थे, चाहे वे किसी भी दल से सम्बन्धित थे, निष्पक्ष हो कर सहायता देने के सम्बन्ध में निर्णय लिये गये हैं ?

श्री रा० स० तिवारी (खजूराहो) : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो छोटी छोटी रियासते थीं, दो दो, चार चार गांवों की या पच्चीस पच्चीस गांवों की उन्होंने इन आन्दोलनों में आदमियों का खून किया, उनको मारा, उनका क्या कोई रिकार्ड आपके पास है ? उनका कोई भी रिकार्ड आपके पास नहीं है । इसका कारण यह है कि उन्होंने कोई रिकार्ड अपने यहां रखा ही नहीं । सजा दी राजनीतिक मामले में लेकिन दफा लगा दी १०९ या १४४ या कोई और । मेरा निवेदन है कि आप सर्वे करें कि जो ६०० के करीब रियासतें थीं उन में से बड़ी बड़ी रियासतों को छोड़ कर छोटी छोटी रियसतों के बारे में आप सर्वे करवायें कि वहां किस हद तक उथलपुथल हुई, कितने आदमी मारे गये और आज जिन्हों ने राजनीतिक आन्दोलनों में हिस्सा लिया है, उन के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है । मध्य प्रदेश में ही एक कानून बनाया गया है ...

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य भाषण देना शुरू न करें ।

श्री रा० स० तिवारी : मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूं । उस कानून में यह है कि अगर डाक्टर सर्टिफिकेट दे दे और यह लिख दे कि फलां खानदान कमजोर हो गया है, उस को मदद देनी ही चाहिये, उस की शिक्षादीक्षा का प्रबन्ध किया जाय या अन्य उपाय किये जायें तो ऐसा किया जाता है । मैं चाहता हूं कि आप सर्वे करायें इन लोगों का तो बड़ा अच्छा होगा ।

श्री जि० मंडल (खगरिया) : जिस तरह से हरिजनों तथा पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं । अगर उसी तरह से राजनीतिक पीड़ितों की वार्षिक आर्थिक आय निर्धारित कर दी जाये कि पांच सौ या एक हजार वार्षिक से कम जिन की आय होगी, ऐसे जो राजनीतिक पीड़ित हैं उन के बच्चों की शिक्षा दीक्षा मुफ्त होगी तथा उन को छात्रवृत्तियां दी जायेंगी तो अच्छा रहेगा । मैं समझता हूं कि यदि आप ने ऐसा किया तो डा० राम सुभग सिंह जी ने पांच करोड़ की जो बात कही है, उस में काम चल जायेगा । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस तरह की सुविधा देने के लिये तैयार है ।

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली रक्षित अनसूचित जातियां) : अभी विभिन्न राज्यों की बात की गई हैं । किन्तु जो केन्द्र शासित प्रदेश हैं, उनमें आप की नीति क्या है, यह मैं जानना चाहता हूं । राज्यों के बारे में तो आप ने कहा है कि वे इतना खर्च करेंगे तो हम इतना देंगे । लेकिन केन्द्र शासित प्रदेशों में तो आप का ही दखल है । उन के बारे में आप की नीति क्या है, इस को आप स्पष्ट करें ।

पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी (सागर): सरकार इस तरह की यवस्था करेगी

कि जो राजनीति में काम करते हुए देश के लिये शहीद हुए हैं उन की स्मृति में कुछ ऐसे स्कालरशिप्स की व्यवस्था करे जिन के द्वारा राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों का शिक्षण हो सके ?

The Minister of Education (Dr. K. L. Shrimali): Sir, in the first place, I must say that as far as.....

श्री ब्रज राज सिंह (फिरोजाबाद) : आप तो हिन्दी में बोलिये । आप हिन्दी बोल सकते हैं ।

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : क्योंकि मैम्बर साहिबान का यह आग्रह है कि मैं हिन्दी में बोलूं, मैं खुशी से हिन्दी में बोलने के लिये तैयार हूं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में जरूर हमारी कुछ ढील रही है । हमें स्वतन्त्रता के बाद ही इस बात का प्रयत्न करना चाहिये था कि जिन लोगों ने त्याग किया, देश की आजादी के लिये लड़ी गई लड़ाई में हाथ बटाया और जिन्हों ने तरह तरह की यातनायें भोगीं, उन के और उन के बच्चों की जीविका के लिये सरकार कुछ प्रबन्ध करती । कुछ किया भी । मैं नहीं कहता कि नहीं किया । लेकिन पर्याप्त रूप से नहीं किया । मैं समझता हूं कि दो वर्ष पहले श्री राम सुभग सिंह जी ने, भक्त दर्शन जी ने और इस सदन के कुछ अन्य सदस्यों ने इस हाउस में इस प्रश्न को उठाया था और उसका प्रयोजन सिर्फ इतना ही था कि जो राजनीतिक पीड़ित हैं उन के बच्चों की तालीम के लिये कुछ सुविधाओं का प्रबन्ध किया जाये । इस सीमत प्रश्न को ले कर भारत सरकार ने यह तय किया कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की सहायता के साथ कदम उठाना चाहिये । सन् १९५९ की जनवरी में यह निर्णय किया गया था और सन् १९६० में सब राज्य सरकारों को और यूनियन टैरीटरीज को इस सम्बन्ध में लिखा गया ।

जहां तक पोलिटिकल सफरर्स का संबंध है, इस शब्द की व्याख्या निश्चित रूप से की गई है । पोलिटिकल सफरर की व्याख्या यह है :

"Political sufferer means a person who suffered imprisonment or detention of not less than six months or who died or was killed in action or in detention or was awarded capital punishment or became permanently incapacitated due to firing or lathi-charge or lost his job or means of livelihood or a part or whose of his property on account of participation in national movements for emancipation of India."

All persons come within the definition mentioned in paragraph 6 provided their income does not exceed Rs. 300 per month.

जिन की आय ३०० रु० से ऊपर थी उन को तो इस फायदे की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन जिन की आय ३०० रु० से कम थी उन के लिये निश्चय किया गया था कि उन के बच्चों को तालीम दी जाय और जो कंसेशन्स दिये जाने वाले थे वे ये हैं :

जितने भी राजनीतिक पीड़ितों के बच्चे हैं उन के लिये, फ्रीशिप, हाफ फ्रीशिप और दूसरे कंसेशन्स दिये जायें, प्राइमरी स्कूलों, मिडल स्कूलों और हाई स्कूलों में जो हास्टेल लगे हुए हैं, या कालेजों के साथ लगे हुए हैं, उन में फ्री सीट्स का प्रबन्ध किया जाय ।

श्री विभूति मिश्र : क्या यह कालेजों के सम्बन्ध में नहीं है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : कालेजों और स्कूलों दोनों में । उन को स्टाइपेंड्स दिये जायें, कुछ किताबों का खर्चा दिया जाय, प्राइमरी स्कूल से ले कर पोस्ट ग्रैजुएट स्टैन्डर्ड तक । यह हिदायतें राज्य सरकारों को दीं और कहा कि इस का आधा खर्चा राज्य सरकार दे और आधा केन्द्रीय सरकार देगी । तो तस्वीर इतनी बुरी नहीं है जितनी श्री भक्त दर्शन जी ने बतलाई । परिस्थिति यह है कि सन् १९५९ में जिन सात राज्यों

[डा० का० ला० श्रीमाली]

ने इस सम्बन्ध में न केवल निश्चय किया बल्कि उन्हों ने स्कीम को लागू भी कर दिया वे ये हैं :

आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मैसूर, उड़ीसा, दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन, मणिपुर ऐडमिनिस्ट्रेशन और त्रिपुरा एडमिनिस्ट्रेशन ।

उत्तर प्रदेश राज्य ने कहा कि वे सन् १९६०-६१ में इस स्कीम को लागू करेंगे ।

Shri Neswi (Dharwar South): The category of absconders is not included, only those who underwent imprisonment.

An Hon. Member: Do you mean persons who went underground?

Shri Neswi: Yes, yes. They have suffered more, they have lost their property.

डा० का० ला० श्रीमाली : आसाम, मध्य प्रदेश, मद्रास, पंजाब, वेस्ट बंगाल और हिमाचल ऐडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी योजनायें केन्द्रीय सरकार के पास भेजी हैं और वे हमारे विचाराधीन हैं । मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही उन को मंजूर किया जायेगा । जिन राज्यों ने अभी तक कोई योजना नहीं भेजी है या जिन्हों ने हमारे आदेश के मुताबिक अभी कोई रिवीजन नहीं किया है, वे ये हैं :

महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, राजस्थान, जम्मू तथा काश्मीर और पांडिचेरी ऐडमिनिस्ट्रेशन ।

अब प्रश्न यह रहा कि सारा खर्चा केन्द्रीय सरकार को देना चाहिये या केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार को मिल कर देना चाहिये । निश्चय यह किया गया कि केन्द्रीय सरकार आधा देगी और राज्य सरकार भी आधा दे । जहां तक मुझे मालूम है किसी भी राज्य सरकार ने आर्थिक प्रश्न नहीं उठाया । बल्कि जो पिछड़े हुए राज्य हैं जैसेकि बिहार, उड़ीसा आदि हैं उन्हों ने स्कीम को लागू भी कर दिया है । यह स्कीम लागू नहीं हुई बम्बई में और बहुत मुमकिन है कुछ रोज वह न करना चाहे । सिद्धान्त रूप से कुछ लोग कहते हैं कि यदि इन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया तो उन्होंने अपना कर्तव्य किया, अप उस का लाभ उन को क्यों मिले ? हमारी तरफ से इस बात का बराबर प्रयत्न हो रहा है कि सब पीड़ितों को सहायता मिले, और मैं समझता हूं कि यह राज्य का कर्तव्य भी है । जिन्हों ने देश की सेवा की, जिन्हों ने त्याग किया जिन्हों ने देश को स्वतंत्र करने के लिये तरह तरह की यातनायें भोगीं, उन के बच्चों को कम से कम तालीम तो मिले । यह राज्य का कर्तव्य है और इस में पूरी सहायता करनी चाहिये । इस दृष्टि से जहां तक सम्भव है हमारी बराबर कोशिश होगी कि हम इन राज्यों से, जिन्होंने अभी कोई योजना नहीं बनाई है, योजनायें बनावायें । प्रश्न पूरे खर्च के उठाने का नहीं है ।

Dr. Samantsinhar (Bhubaneshwar): Is there anything to the effect that the scholarships will be given according to the percentage of the marks obtained?

डा० का० ला० श्रीमाली : मार्क्स का सहायता के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । तो यह जो पांच छः राज्य हैं, जिन्होंने अभी कोई योजना नहीं बनाई है, उन से हम दरख्वास्त करेंगे, लेकिन आप यह तो मानेंगे कि बहुत कुछ राज्य सरकारों के एटिट्यूड पर निर्भर करता है । मेरी दरख्वास्त है कि आप इन राज्यों से भी कहें क्योंकि आप का उन से सम्बन्ध है और आप का उन पर असर है । आप उन से पूछ सकते हैं कि क्या वजह है कि दूसरे राज्यों ने योजना लागू कर दी है परन्तु वे अपने राज्यों में नहीं करते हैं । अगर आप का असर पड़ेगा तो मैं आशा करता हूं कि उन की योजनायें जल्दी बन जायेंगी ।

Shri Raghunath Singh: You should also press.

डा० का० ला० श्रीमाली : मैं आश्वासन दिलाता हूं कि मेरी तरफ से वह किया जायेगा ।

एक प्रश्न पूछा गया, उस के सम्बन्ध में भी मैं कहना चाहता हूं । एक प्रश्न तो श्री रघुनाथसिंह जी ने उठाया था कि जो भी राजनीतिक पीड़ितों के बच्चे हैं उन को नेवी में दाखिल क्यों नहीं करते ?

Shri Raghunath Singh: All the fighting forces.

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, उनको आर्म्ड फोर्सेज में क्यों नहीं दाखिल किया जाता ? मेरी उन बच्चों के साथ पूरी सहानुभूति है, लेकिन मैं समझता हूं कि यह तरीका ठीक नहीं होगा । हमारी आर्म्ड फोर्सेज में सबसे योग्य व्यक्ति जाने चाहिये और आज कल जो दाखिला होता है वह प्रतियोगिता के आधार पर होता है । अगर राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों में योग्यता है, उनके शरीर पुष्ट हैं और वे अच्छे सैनिक बन सकते हैं, तो उनको जरूर लिया जाना चाहिये ।

Shri Raghunath Singh: What facility is given by Government?

डा० का० ला० श्रीमाली : देश की रक्षा का प्रश्न ऐसा है, जिसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता । इसके सम्बन्ध में हमारी कोशिश होनी चाहिये कि देश के अच्छे से अच्छे लोग जायें एअर फोर्सेज में और नेवी में । मेरी सहानुभूति होते हुए भी जो उनका प्रस्ताव है उसे स्वीकार करना कठिन है ।

श्री रघुनाथ सिंह : प्रायरिटी होनी चाहिये ।

An Hon. Member: What about national register?

डा० का० ला० श्रीमाली : मेरा यह निश्चित मत है कि जितनी डिफेन्स फोर्सेज हैं उन में अच्छे से अच्छे व्यक्ति जायें और किसी के साथ किसी किस्म का पक्षपात नहीं होना चाहिये, चाहे वह राजनैतिक पीड़ित ही क्यों न हो । बड़ी भारी गलती होगी अगर हम इस मामले में रिजर्वेशन वगैरह करें । मेरी उन बच्चों के साथ पूरी सहानुभूति है लेकिन जो देश के हित में नहीं है, वह मैं समझता हूं कि नहीं करना चाहिये ।

प्रकाश वीर जी ने यह प्रश्न उठाया था कि जो स्कालरशिप्स दिये जाते हैं वे सभी राजनीतिक दलों के व्यक्तियों के बच्चों को दिये जाने चाहियें । पोलिटिकल सफरर जो भी हों, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से सम्बन्धित हैं, उनके बच्चों को सहायता मिल सके । अगर मेरे सामने ऐसा एक भी उदाहरण लाया जाय जहां पर कि पक्षपात हुआ है, तो उस पर कार्रवाई की जायेगी और मैं यह देखूंगा कि उस मामले में स्कालरशिप दिया जाय । पोलिटिकल सफरर की जो व्याख्या है उसके अन्तर्गत अगर एक भी उदाहरण आपके ध्यान में हो जहां पर राज्य सरकार ने या केन्द्र सरकार ने पक्षपात किया है तो हमारा ध्यान आप उस पर दिलायें, तुरन्त उस पर कार्रवाई की जायेगी । लेकिन खाली यह कहने से काम नहीं चलेगा कि पक्षपात हुआ है । उसके विशेष उदाहरण सरकार के सामने रक्खे जायें ।

कुछ सुझाव हमारे राम सुभग सिंह जी ने दिये थे कि उनको सनद मिलनी चाहिये और कुछ हू इज हू बनना चाहिये । इन सुझावों पर मैं गौर करूंगा गो कि इस योजना के साथ इनका कोई सम्बन्ध नहीं है । जो सुझाव दिये गये हैं उन पर सरकार गौर करेगी ।

जहां तक इस स्कालरशिप की योजना का सम्बन्ध है, इसको पूरी पबलिसिटी दी जाएगी । और हम राज्य सरकारों को और लिखेंगे । मैं माननीय सदस्यों से भी दरख्वास्त करता हूं कि वे भी राज्य सरकारों पर इस बारे में दबाव डाल, तभी यह योजना सफलता-पूर्वक कार्यान्वित हो सकेगी ।

श्री विभूति मिश्र (बगहा) : मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल आर्मी को देती है उसी तरह से हम को भी दे। हम तो सारे देश के लिए लड़े थे किसी एक राज्य के लिये नहीं। इस बारे में भी मंत्री जी जवाब दें।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने कह लिया और उन्होंने भी जवाब दे दिया। अब कुछ मुझे कहना है वह कहने दीजिए।

17.31 hrs.

VALEDICTORY REFERENCE

Mr. Deputy-Speaker: I am very happy that we have now concluded this session. We have been here for about six weeks. During that period, important debates have been held. We had one on foreign affairs, our Prime Minister's visit to the UNO, his speeches there and the part that we played there.

We have put through very important legislation also, like the Companies Bill and the Preventive Detention (Amendment) Bill.

Shri Braj Raj Singh (Firozabad): That is important?

Mr. Deputy-Speaker: They are important. We might differ from each other. But they are important pieces of legislation (*Interruptions*). They are, from every point of view, important. We might oppose or we might support them, but the importance does not go away from that. We have differed many a time.

Shri P. N. Singh (Chandauli): It it a notorious Act.

Mr. Deputy-Speaker: It should not be addressed to me like that. It is not my fault.

Hon. Members, irrespective of their party affiliations, have been making nice contributions and though there were many differences of opinion and uproarious debates as well, ultimately we have co-operated and collaborated for the advance of democracy further and further, and we go back satisfied in that respect, that we have done our job well.

Now there is this pleasant task for non. Members of going to their constituencies and meeting their electors who are the real masters.

Shri C. D. Pande (Naini Tal): **Facing them.**

Mr. Deputy-Speaker: I give them my good wishes. There also they have to educate them and to learn from them. I think they will enjoy their stay. Now that the elections are also coming near, they have certainly tremendous responsibilities before them. I wish them well. They carry my best wishes.

The House now stands adjourned *sine die.*

17.34 hrs.

The Lok Sabha then adjourned *sine die.*